मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/स्थापना/सी.भ./175/ 29   भोपाल, दिनांक 08 /01/2025

//आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.डब्लू.पी. 7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ़ ब्लाइंड विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के पालन में, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ़/8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 22.02.2014 में प्रसारित निर्देश एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्र.296/1857412/2024/26-1 दिनांक 21.02.2024 के तारतम्य में एम.पी.ऑनलाइन भोपाल द्वारा राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सचिव 'स' संवर्ग के सीधी भर्ती से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 09 (114800-36200) में म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 (सातवां वेतनमान) अनुसार वेतनमान रूपये 114800-36200 के न्यूनतम रूपये 36200/- एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र.	नाम	लिंग	वर्ग	क्लास	पदस्थापना स्थल	जिला
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान	पुरुष	GEN	लोकोमोटर डिसेबिलिटी	कृषि उपज मंडी समिति तराना	उज्जैन
2	सुश्री समृद्धि एम धांडे	महिला	OBC	दृष्टि बाधित	कृषि उपज मंडी समिति शाहपुरा भिटौनी	जबलपुर
3	श्री अनुराग रघुवंशी	पुरुष	GEN	बहरे और कम सुनने	कृषि उपज मंडी समिति बेगमगंज	रायसेन

शर्तः-

1- यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।

2- परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा ।

3- अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, तथा उसे एक माह की अवधि या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।

4- उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. (2) के अतर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

5- उपर्युक्त नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

6- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

7- कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक/एफ-9 /3/2003/नियम/चार दिनाक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।

8- नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

9- परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

10-स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नही छोडेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

11-चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण / कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

12-चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता एम.पी.ऑनलाइन भोपाल की चयन सूची में अंकित मेरिट/ प्रतिक्षा क्रम के अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे या उनके बाद में नियुक्ति आदेश जारी हो।

13-यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियों आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नही पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नही होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।

14-म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क० एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

15-यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा पुलिस को सत्यापन प्रकिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

16-भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।

17-समय-समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तों संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होगे।

18-बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।

19-विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20-चयनित हुए अभ्यर्थियों का पद पर उपस्थिति दिये जाने के उपरांत म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ-83/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपसंचालक (स्थापना)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना/सी.भ./175/ 30 भोपाल, दिनांक 08 /01/2025

प्रतिलिपि - सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
03. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
04. कार्यालय संयुक्त संचालक म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, रीवा / सागर / ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर/उज्जैन/भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख तैयार करें / संधारित करें। संबंधित की उपस्थिति से तत्काल एकजाई रूप से अवगत कराये। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व नियुक्ति की शर्त 20 का पालन करें।
05. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट / पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय गोपाल
06. सहायक संचालक/ अनुभाग अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
07. भारसाधक अधिकारी/ सचिव कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति.................................... जिला.................................. की ओर भेजकर लेख है कि सबंधित अभ्यर्थी की उपस्थिति से तत्काल अवगत करायें। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व नियुक्ति की शर्त 20 का पालन करें।
08. श्री/श्रीमति/कुमारी...
....
09. आदेश नस्ती/ व्यक्तिगत नस्ती/ गोपनीय चरित्रावली शाखा/ लेखा शाखा/ मडी कार्मिक अ-1/ पेंशन शाखा/ स्टोर शाखा/ कम्प्यूटर शाखा एवं अन्य शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

उपसंचालक (स्थापना)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल